न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 131/2020

1– श्री सुजाराम
2– श्री रामकरण
पुत्रगण श्री जीवण
3– श्री कानाराम पुत्र श्री जालूराम
4– श्री हरकरण पुत्र श्री नारायण
5– श्री कालूराम पुत्र श्री हरदीन
6– श्री प्रेमराज पुत्र श्री मानाराम
समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम करकेड़ी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

.....*अपीलान्टस*

बनाम

1– श्री बीरमाराम
2– श्री रामदेव
पुत्रगण श्री जेठाराम
3– सीतादेवी पुत्री श्री जेठाराम
समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम करकेड़ी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

.....**रेस्पोन्डेन्ट्स**

अन्तर्गत धारा 225 राजस्व काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री शंकरलाल चौधरी, वकील अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री इन्द्रेश के0 रामचन्दानी, वकील रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–04.12.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि श्री बीरमाराम, श्री रामदेव पुत्रगण श्री जेठाराम व सीतादेवी पुत्री श्री जेठाराम, समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम करकेड़ी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की ग्राम करकेड़ी स्थित खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1662/981 व 1663/981 कुल किता 2 रकबा 0.8574 हैक्टर पर श्री सुजाराम, श्री रामकरण पुत्रगण श्री जीवण, श्री कानाराम पुत्र श्री जालूराम, श्री हरकरण पुत्र श्री नारायण, श्री कालूराम पुत्र श्री हरदीन एवं श्री प्रेमराज पुत्र श्री मानाराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम करकेड़ी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर द्वारा जबरन अवैध कब्जा कर लिया गया है। अतः अप्रार्थीगण को बेदखल करते हुए कब्जा हटवा कर भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर तहसीलदार रूपनगढ द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 01/2020 पंजीकृत कर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 26.11.2020 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार प्रार्थीगण का

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार कर अप्रार्थीगण श्री सुजाराम, श्री रामकरण पुत्रगण श्री जीवण, श्री कानाराम पुत्र श्री जालूराम, श्री हरकरण पुत्र श्री नारायण, श्री कालूराम पुत्र श्री हरदीन एवं श्री प्रेमराज पुत्र श्री मानाराम, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम करकेड़ी, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर का विवादित आराजीयात से अविधिक कब्जा हटाने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.11.2020 से क्षुब्ध होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने केवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जरिये वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का वांछित रेकॉर्ड मंगवाया गया। अपील के विचाराधीन रहते वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत कर अपील निरस्त करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी।

वकील अपीलान्ट्स ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य हैं। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं सम्बन्धित कानूनी प्रावधानों का विवेचन नहीं कर निर्णय प्रदान करने में भूल की है। फलस्वरूप आक्षेपीय आदेश न्याय के सहज एवं प्राकृतिक सिद्धांतों के विपरीत है। उन्होने आगे कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी के पूर्व में खसरा संख्या 981/6 रकबा 05–05–00 बीघा किस्म बारानी 2 रहे हैं व उक्त आराजी रेस्पोन्डेन्ट्स के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में नहीं रही है। आराजी करीब 55 वर्षों से अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त में चली आ रही है। रेस्पो0 के पिता श्री जेठूराम पुत्र श्री आसूराम ने विवादित आराजियात को रूपये 3000/– प्रतिफल राशि में दिनांक 02.11.1990 को अपीलान्ट के पक्ष में विक्रय पत्र/विक्रय इकरारनामा गवाहान के समक्ष किया था। जिसमें उन्होने स्वीकार किया था कि उक्त आराजी पर विगत कई वर्षों से हरदीन, मायाराम, जालूराम, रामकरण, सुजाराम पिसरान जीवणराम जाट निवासी करकेड़ी ही काश्त करते चले आ रह हैं एवं उन्ही के कब्जे काश्त में हैं। श्री जेठूराम ने यह भी स्वीकार किया था कि आवंटन के पश्चात से आराजी राजस्व रेकॉर्ड में गैर खातेदारी में है जिसका तब से न तो लगान अदा किया गया एवं न ही उसने कभी काश्त की है तथा उन्होने इकरार किया था कि क्रेतागण उक्त आराजी को राजस्व रेकॉर्ड में अपने नाम अंकित करा सकेंगे। इसमें उन्हे व उनके वारिसान को कोई उज्र या आपत्ति नहीं होगी। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजियात पर विगत 55 वर्षों से अधिक समय से रेस्पो0 के पिता व रेस्पो0 का कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा रेस्पो0 को आवंटन के समय भी आराजी रिक्त नहीं थी, उस पर अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त आधिपत्य था जो आज दिनांक निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वर्तमान में भी अपीलान्ट्स ने आराजियात पर फसल काश्त की हुई है। वकील अपीलान्ट्स का आगे कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट्स ने यह कहीं भी वर्णित नहीं किया कि रेस्पो0 को किस दिनांक को या किस दिन अपीलान्ट्स द्वारा बेदखल कर कब्जा किया है। इस प्रकार रेस्पो0 को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोन्डेन्ट्स को कभी भी बेकब्जा नहीं किया गया है। रेस्पो0 का जब कोई कब्जा ही नहीं था एवं न ही उसे बेदखल किया गया तो धारा 183 बी के तहत ना तो कोई मामला बनता है तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 बी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा अधिनियम की तृतीय अनुसूची में पार्ट द्वितीय (आवेदन) के क्रम संख्या 68(ग) में परिसीमा बेकब्जा करने की दिनांक से 12 वर्ष नियत की गई है। रेस्पो0 के पिता को उक्त आराजी आवंटन से आज दिनांक तक रेस्पो0 के पिता या रेस्पो0 का कब्जा नहीं है। इस परिसीमा की समाप्ति पश्चात प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं रह जाता है एवं प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से विधिक रूप से खारिज करने

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने पर किसी प्रकार की सुनवाई किये बिना एवं दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना मनमाने तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2020 निरस्त किया जावे।

वकील अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स द्वारा विचाराधीन अपील दुर्भावनायुक्त आशय से वास्तविक तथ्यों का लोप कर संस्थित की गई है। अपील संस्थन पूर्व ही विवादित आराजी बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2020 को पारित आदेश की अनुपालना में दिनांक 15.12.2020 को पटवारी हल्का करकेड़ी द्वारा विवादित आराजी बाबत मौका पर्चा तैयार किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को मौके पर भौतिक आधिपत्य संभलाया जा चुका है एवं रेस्पोन्डेन्ट्स का ही भौतिक कब्जा चला आ रहा है। उनका आगे कथन है कि रेस्पोन्डेन्ट्स द्वारा विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के न्यायालय में स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व उसके अनुसंलग्न अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संस्थित किया गया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.01.2021 को अपीलान्ट्स के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया गया है किन्तु अपीलान्ट्स द्वारा जानबूझकर असत्य तथ्यों का अभिवाक कर दुर्भावनायुक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश की पालना हो चुकी है एवं मौके पर रेस्पोन्डेन्ट्स का कब्जा हो चुका है। अन्त में उन्होने कथन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट्स की ग्राम करकेड़ी स्थित आवंटनशुदा खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1662/981 व 1663/981 कुल किता 2 रकबा 0.8574 हैक्टर पर अपीलान्ट्स द्वारा जबरन अवैध कब्जा किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.11.2020 से उक्त अवैधानिक कब्जे से अपीलान्ट्स को बेदखल करने के आदेश पारित किये गये जिसकी पालना में पटवारी हल्का द्वारा विचाराधीन अपील दिनांक 18.12.2020 को संस्थित होने से पूर्व ही दिनांक 15.12.2020 को मौतबिरान व्यक्तियों की उपस्थिति में मौका पर्चा तैयार कर रेस्पोन्डेन्ट्स को मौके पर विवादग्रस्त आराजी का भौतिक कब्जा संभलाया जा चुका है एवं मौके पर रेस्पोन्डेन्ट्स भौतिक रूप से काबिज है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट्स सारहीन होने से निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपीय आदेश दिनांक 26.11.2020 यथावत रखा जाता है।

आदेश आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर, अजमेर

(ज्योति ककवानी)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर